सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 219 राँची, सोमवार, 2 मई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

8 अप्रैल, 2022

संचिका संख्या-05/स०भू० चतरा (रेल)-158/21-1220/रा०--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या-20 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में चतरा जिलांतर्गत अंचल-पत्थलगड्डा के मौजा-अनगड़ा कला, थाना सं0-48, खाता संख्या-39, प्लॉट सं0-58, 59, 61 एवं 62 में अंतर्निहित कुल रकबा-1.82 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.14 की कंडिका-2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डो के अनुसार निर्धारित की गई दर के आधार पर संगणित सलामी राशि रू0-7,64,400/- (सात लाख चौसठ हजार चार सौ) रूपये मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक

लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि रू० 9,55,500/- (नौ लाख पचपन हजार पाँच सौ) रूपये मात्र एवं लगान का 145% का पूंजीकृत मूल्य रू0-13,85,475/- (तेरह लाख पचासी हजार चार सौ पचहत्तर) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 31,05,375/- (ईकतीस लाख पाँच हजार तीन सौ पचहत्तर) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अदायगी पर शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।

ii) उपायुक्त, चतरा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजात से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

iii) प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई उपायुक्त, चतरा सुनिश्चित करेंगे ।

iv) संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मेनुएल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

v) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

vi) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी ।

vii) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

viii) उपायुक्त आश्वस्त हो लेंगे कि प्रस्तावित भूमि विवादरहित तथा वनसीमा/भू-हदबंदी/ भूदान/कब्रिस्तान/श्मशान/धार्मिक स्थल से मुक्त है ।

ix) प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

x) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, चतरा यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। इकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।

xi) यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सं० सं०-05/स०भू० चतरा (रेल)-158/2021-1220/रा०—

8 अप्रैल, 2022

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र0	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	पत्थलगड्डा	अनगड़ा कला	48	39	58	0.10	गैरमजरूआ खास- परती पिण्ड
					59	0.60	गैरमजरूआ खास- अहरा
					61	0.14	गैरमजरूआ खास- परती पिण्ड
					62	0.98	गैरमजरूआ खास- अहरी
कुल						1.82	

अनुलग्नक-II

हस्तांतरण की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

क्र0	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी(रूपये में)	सलामी का 5% व्यवसायिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मुल्य (रूपये में)	व्यवसायिक लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)	कुल देय राशि (5+6+7) (रूपये में)
1	3	4	5	6	7	8
1	1.82	420000	764400	955500	1385475	3105375
कुल	**1.82**		**764400**	**955500**	**1385475**	**3105375**

अर्थात ईकतीस लाख पाँच हजार तीन सौ पचहत्तर रूपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 219 - 50